विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 2014

सं. 1–9/2012 (सीपीपी–II)—यूजीसी अधिनियम 1956 (सं. 3:1956) के अनुच्छेद 26 के उप–अनुच्छेद (1) की धारा (एफ) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्न विनियमों का सृजन करता है, नामतः–

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1.1 ये विनियम, यूजीसी (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अनुदेशों के न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 कहे जायेंगे।

1.2 इन्हे भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही लागू माना जाएगा।

2. यूजीसी की धारा 2.1 (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने हेतु अनुदेशों के न्यूनतम मानक) अधिनियम 2003 (जिसके बाद इन्हें मुख्य विनियम 2013 कहा जाएगा),इन्हें धारा द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित माना जाएगाः–

2.1 कोई भी छात्र किसी भी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र तभी माना जाएगा यदि उसने कम से कम 3 वर्षीय स्नातक स्तर सफलतापूर्वक पूरा किया हो अथवा किसी विश्वविद्यालय या स्वायत्त संस्थान द्वारा संचालित स्नातक स्तर की परीक्षा में निर्धारित अंक अर्जित किये हो या उत्तीर्ण की हो अथवा जिसके पास स्नातक उपाधि के समकक्ष ऐसी योग्यता हो जो भी संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्य हो।

3. मुख्य विनियमों की धारा 2.5 को निम्न धारा द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित माना जाएगा।

2.5 अकादमिक एवं भौतिक सुविधाओं के आधार पर विश्वविद्यालय किसी भी संस्थान द्वारा एक निश्चित संख्या में छात्रों को स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में सीधे तौर से प्रवेश प्रदान कर सकता है यदि उस छात्र द्वारा किसी अन्य संस्थान से उसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया हो।

4. मुख्य विनियमों की धारा 4.1 को निम्न धारा द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित माना जाएगा।

4.1 स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में छात्रों का नामांकन करने वाले प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि वास्तविक अध्ययन दिवस जिनमें व्याख्यान, अनुशिक्षण, संगोष्ठियाँ एवं प्रायोगिक कक्षाओं या संचालित की गई कक्षाओं की संख्या किसी भी अकादमिक वर्ष, जिनमें छुट्टियाँ, अवकाश एवं दाखिला प्रक्रिया में लगने वाला समय एवं परीक्षाएं संचालित करने में आवश्यक अपेक्षित समय को छोड़कर 180 से कम न हों।

5. मुख्य विनियमों की धारा 8.1 को निम्न धारा द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित माना जाएगा।

8.1 स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए वही छात्र पात्र माना जाएगा जिसने प्रथम उपाधि सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 2 वर्ष की अवधि पूरी करली है अथवा 10+2 के पश्चात 5 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है अथवा इस पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक अर्जित कर लिए हैं।

बशर्ते, स्नातकोत्तर उपाधि के लिए एक वर्ष की अवधि तभी मानी जाएगी जब प्रारंभिक विश्वविद्यालयी योग्यता न्यूनतम ऐसी दो स्नातक उपाधियाँ हों जिनमें से एक उससे संबद्व विषय में अथवा उस संबद्व विषय में 10+2 के पश्चात 5 वर्षीय समेकित उपाधि हो।

जसपाल एस संधु
सचिव